

मुख्तार अंसारी (आई0एस0 191) गिरोह का शूटर/हिस्ट्रीशीटर अपराधी बृजेश सोनकर गिरफ्तार, कब्जे से अवैध तमंचा व कारतूस बरामद—

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अविनाश पाण्डेय के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 28.02.2023 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर बंधा रोड हनुमान मंदिर के पास से मुख्तार अंसारी (आई0एस0 191) गिरोह का शूटर/हिस्ट्रीशीटर अपराधी बृजेश सोनकर पुत्र बच्चालाल सोनकर निवासी मठियाटोला थाना कोतवाली जनपद मऊ को पकड़कर उसके कब्जे से एक अदद नाजायज तमंचा 315 बोर व एक जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया। इस सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर उक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 75/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

अपराधिक इतिहास बृजेश सोनकर—

1. मु0अ0सं0 399/10 धारा 302,307,120बी,34 भादवि व 7 सीएलए एक्ट थाना दक्षिणटोला।
2. मु0अ0सं0 891/10 धारा 3(1) यूपी गै0 एक्ट थाना दक्षिणटोला।
3. मु0अ0सं0 179/19 धारा 302,120बी भादवि थाना कोपागंज।
4. मु0अ0सं0 278/19 धारा 420,506,467 भादवि थाना कोतवाली।
5. मु0अ0सं0 225/19 धारा 3/235 आर्म्स एक्ट थाना कोपागंज।
6. मु0अ0सं0 309/19 धारा गैंगेस्टर एक्ट थाना कोपागंज।
7. मु0अ0सं0 75/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली।

एक इनामिया अभियुक्त (25 हजार) सहित कुल 06 अपराधी गिरफ्तार, कब्जे से 05 अवैध तमंचा व कारतूस, एक चोरी की मोटरसाइकिल तथा एक चार पहिया वाहन बरामद—

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अविनाश पाण्डेय के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 28.02.2023 को थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर वलीदपुर मोड़ से एक चार पहिया व एक दो पहिया वाहन सवार कुल 06 अभियुक्तों शुभम यादव पुत्र शिवप्रकाश यादव निवासी बदनपुर थाना मधुबन, लालू यादव उर्फ गोलू पुत्र सूर्यबली यादव सा0 कपारगढ़ थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़, सोनू यादव पुत्र स्वामीनाथ यादव निवासी डिघवनिया मझुवा थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़, पंकज यादव पुत्र चन्द्रिका यादव निवासी मिश्रौली रामनिधि बभनौली थाना घोसी, रविन्द्र यादव पुत्र रमाकान्त यादव निवासी रसूलपुर थाना घोसी, अखिलेश यादव उर्फ गोलू पुत्र हरिनाथ यादव निवासी मुंगमास मठिया थाना कोपागंज जनपद मऊ को गिरफ्तार कब्जे से एक तमंचा व एक अदद जिंदा कारतूस 303 बोर, एक तमंचा व एक अदद जिंदा कारतूस 12 बोर, तीन अदद तमंचा व तीन अदद जिंदा कारतूस 315 बोर व दो अदद खोखा कारतूस बरामद कर गिरफ्तार किया गया।

उपरोक्त गिरफ्तार अभियुक्तों में से एक लालू यादव उर्फ गोलू पुत्र सूर्यबली यादव, थाना स्थानीय पर पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0 599/22 धारा 307,394,411,120बी भादवि0 व मु0अ0सं0 610/22 धारा 307 में वांछित तथा जिसपर जिसपर 25 हजार रूपये का इनाम घोषित था। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्तों के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 . मु0अ0सं0 76/23 धारा 307/411/413/414/420 भादवि0 व आयुद्ध अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया तथा बरामद वाहनों को अन्तर्गत एमवी एक्ट सीज किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण—

1. शुभम यादव पुत्र शिवप्रकाश यादव निवासी बदनपुर थाना मधुबन जनपद मऊ।
2. लालू यादव उर्फ गोलू पुत्र सूर्यबली यादव निवासी कपारगढ़ थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़।
3. सोनू यादव पुत्र स्वामीनाथ यादव निवासी डिघवनिया मझुवा थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़।
4. पंकज यादव पुत्र चन्द्रिका यादव निवासी मिश्रौली रामनिधि बभनौली थाना घोसी जनपद मऊ।
5. रविन्द्र यादव पुत्र रमाकान्त यादव निवासी रसूलपुर थाना घोसी जनपद
6. अखिलेश यादव उर्फ गोलू पुत्र हरिनाथ यादव निवासी मुंगमास मटिया थाना कोपागंज जनपद मऊ।

बरामदगी—

1. एक तमंचा व एक अदद जिंदा कारतूस 303 बोर।
2. एक तमंचा व एक अदद जिंदा कारतूस 12 बोर।
3. तीन अदद तमंचा व तीन अदद जिंदा कारतूस 315 बोर।
4. दो अदद खोखा कारतूस।

गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम—

निरीक्षक संजय कुमार त्रिपाठी, उ0नि0 मनोज कुमार सिंह, हे0का0 राजबहादुर सरोज, का0 विवेक कुमार सिंह, का0 मनीष यादव, का0 गंगा राम, का0 पवन यादव थाना मुहम्मदाबाद।

02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार—

आज दिनांक 01.03.2023 को जनपद के विभिन्न थानो द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना कोपागंज पुलिस द्वारा ढाढ़ी चट्टी से मु0अ0सं0 14/23 धारा 363,366,120बी भादवि0 में वांछित अभियुक्त हिमांशु पुत्र राजू निवासी लिलारी भरौली थाना कोपागंज, थाना सरायलखंसी पुलिस द्वारा डुमरांव से मु0अ0सं0 217/22 धारा 368 भादवि0 व धारा 17/18 पोक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त मनोज राम पु स्व0 मिर्जा निवासी डुमरांव थाना सरायलखंसी जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।